

फाईल नम्बर:-9-PBC1288/2006-CHA/594P-53
सेवा में,

वित्तीयार्थक एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लघु सचिवालय, सेक्टर-9,
चण्डीगढ़ ।

विषय:- Diversion of 21.965 hectare of forest land permission for upgradation of road on Ludhiana-Hissar
road KMs 28-45.2 B/s, Forest Division & District Sangrur, Punjab.

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित नोटल आफिसर के पत्र संख्या FCA-1980/3296/3259/8813 दिनांक
22.12.2006 और पत्र संख्या FCA-1980/3296/1439 दिनांक 11.6.2007 कि ओर दिलाऊँ, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 21.965 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष कटावों जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार छ हजार नौ सौ सोलह वृक्ष और चार हजार आठ सौ तरतालीस पौधों से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार BBC RD 87-91.5 L/s, 87-95 R/s, 116-125 L/s, Buraj Branch Road 0-tail B/s, 0-50 B/s और Rachhin Drain RD 5-12.5 B/s में प्रयोक्ता एजेसी से प्राप्त रु 2,02,07,800/- (रु दो करोड़ दो लाख सात हजार आठ सौ मात्र) की राशि से 43.930 hec. में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. एवेन्यू पौधारोपण प्रयोक्ता एजेसी के खर्च पर प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर किया जायेगा। सड़क का कार्य पूरा होने के एक वर्ष के अन्दर इस शर्त का पालन वन मण्डल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेसी से यह अंडरटेकिंग भी ली कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेसी बाध्य होगी।
6. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रतिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक नभारत सरकार का उपकरण ब्लाक 11 भूतल सी. जी. ओ. काम्पलेक्स फेज, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा कराया जाये।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को श्वगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।


भवदीय


(श्री कृष्ण सहस्रबुद्ध)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय


(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली।
3. Divisional Forest Officer Ludhiana, Punjab.
4. The Executive Engineer, Central Works Division No. 3, PWD, B&R Ludhiana, Punjab.
5. गार्ड फाईल।

फाईल नम्बर:-9-PBC1288/2006-CHA/594P-53
सेवा में,

वित्तीयार्थक एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लघु सचिवालय, सेक्टर-9,
चण्डीगढ़ ।

विषय:- Diversion of 21.965 hectare of forest land permission for upgradation of road on Ludhiana-Hissar
road KMs 28-45.2 B/s, Forest Division & District Sangrur, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित नोटल आफिसर के पत्र संख्या FCA-1980/3296/3259/8813 दिनांक
22.12.2006 और पत्र संख्या FCA-1980/3296/1439 दिनांक 11.6.2007 कि ओर दिलाऊँ, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 21.965 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष कटावों जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार छ हजार नौ सौ सोलह वृक्ष और चार हजार आठ सौ तरतालीस पौधों से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार BBC RD 87-91.5 L/s, 87-95 R/s, 116-125 L/s, Buraj Branch Road 0-tail B/s, 0-50 B/s और Rachhin Drain RD 5-12.5 B/s में प्रयोक्ता एजेसी से प्राप्त रु 2,02,07,800/- (रु दो करोड़ दो लाख सात हजार आठ सौ मात्र) की राशि से 43.930 hec. में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. एवेन्यू पौधारोपण प्रयोक्ता एजेसी के खर्च पर प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर किया जायेगा। सड़क का कार्य पूरा होने के एक वर्ष के अन्दर इस शर्त का पालन वन मण्डल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेसी से यह अंडरटेकिंग भी ली कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेसी बाध्य होगी।
6. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक नभारत सरकार का उपकरण ब्लाक 11 भूतल सी. जी. ओ. काम्पलेक्स फेज, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा कराया जाये।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को श्वगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहस्रबुद्ध)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बंज बिल्डिंग, सेक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
3. Divisional Forest Officer, Sangrur Forest Division, Sangrur, Punjab.
4. Executive Engineer, Central Works Division No. 3, PWD (B&R), Ludhiana, Punjab.
5. गाई फाइल ।

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
दिनांक 10.05.2007

फाईल नम्बर:-9-PBB054/2007-CHA

14410-74

सेवा मे,

वित्तायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर- 9
चण्डीगढ ।

विषय:-

**Diversion of 34.71 hec of forest land for upgradation of road on
Ludhiana-Hissar road (Malerkotla-Dhuri Sangrur road) Km. 45-77.249 B/s
under World Bank Aided Project, Forest Division & Distt. Sangrur, Punjab.**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या
FCA-1980/3348/9559 दिनांक 25.01.2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की
धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 34.71 हेक्टेयर
वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.07.2004 को जारी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए।
3. कम से कम वृक्ष/पौधे कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 3558 वृक्ष ओर 4090 पौधों से अधिक नहीं होगी।
4. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **along single patch on (1) BSW Drain RD 178-228, 2255-291 B/s =30 hec. (2) BBC RD 61-68 R/S , 64-86 L/s =20 hec. (3) Mahorana Drain RD 0 - vill. Darowal B/S = 10 ha. (4) Jangora link Drain RD 4-24 B/S = 4.42 ha. Total = 69.420 ha.** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रू 78,90,833/- (रू अठहत्तर लाख नब्बे हजार आठ सौ तैत्तीस मात्र) की राशि से किया जायेगा।
प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
5. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त/ अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
6. राज्य सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक -11 भूतल सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 में जमा करायेगी।

7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17, बेज बिल्डिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली।
3. Divisional Forest Officer Sangrur, Punjab.
4. The Executive Engineer Construction Division PWD B&R, Sangrur, Punjab.
5. गार्ड फाईल।

Government of India
Ministry of Environment & Forests
Northern Regional Office,

Bays No.24-25,
Dakshin Marg, Sector-31A
Chandigarh-160030
Dated: Monday, October 22, 2007

F.No.: 9-PBC054/2007-CHA/10072

To

The Financial Commissioner & Secretary,
Government of Punjab,
Department of Forests & Wildlife Preservation,
Mini Secretariat, Sector-9,
Chandigarh.

Sub. Diversion of **34.71 hectare of forest land for Upgradation of existing Ludhiana-Hissar road** (Malerkotla-Dhuri-Sangrur road) from Kms 45.00 to 77.249 under Forest Division & District Sangrur, Punjab.


Sir,

This is in continuation of this office letter of even number dated 10th 2007 vide which the instant project proposal was accorded final approval for diversion of forest land for non-forestry purpose in accordance with section-2 of the under Forest (Conservation) Act, 1980.

Due to the laxity of the field staff of Sangrur Forest Division, 2888 trees and 3398 plants were left out from the main proposal. On the request of the State Government vide their letter No. FCA-1980/3348/4429 dated 1st October 2007 felling permission for 2888 trees and 3398 plants in addition to 3558 trees and 4090 plants is hereby accorded by the competent authority under Forest (Conservation) Act, 1980.

Other terms and conditions incorporated in the above mentioned approval letter will remain the same.

Yours faithfully,


(SK Sehrawat)

Conservator of Forests (Central)

Copy to:-

1. PCCF, Govt. of Punjab, Forest Department, 17 Bays Building, Sector-17, Chandigarh.
2. The Director (FC), Ministry of Environment & Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.
3. DFO, Forest Division and District, Sangrur, Punjab.
4. Executive Engineer, Construction Division, PWD B&R, Sangrur, Punjab.
5. Guard file.